भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3777
दिनांक 18 मार्च , 2021 / 27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन क्षेत्र पर यात्रा प्रतिबंधों का प्रभाव

3777. **श्री कुलदीप राय शर्मा:**
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश में लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के कारण विमानन क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो विमानन क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ है;
(ख) क्या नागर विमानन महानिदेशालय(डीजीसीए) ने देश में हवाई यात्रा के किराए में वृद्धि की घोषणा की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या डीजीसीए ने किराया बढ़ाने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या किराए में वृद्धि का विमान यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार को इस संबंध में विमान यात्रियों से कोई अभी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाई की गई है; और
(छ) सरकार द्वारा आम आदमी के लिए किरायों को किफायती बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री आवागमन पर प्रतिबंधों की वजह से भारत में विमानन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। हितधारकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभाव का विवरण निम्नानुसार है:
i. घरेलू यातायात, अप्रैल-दिसंबर 2019 के लगभग 10.8 करोड़ से कम होकर, अप्रैल-दिसंबर 2020 में लगभग 3 करोड़ रह गया है।
ii. अंतरराष्ट्रीय यातयात, अप्रैल-दिसंबर 2019 के लगभग 5.21 करोड़ से कम होकर, अप्रैल-दिसंबर 2020 में लगभग 55.9 लाख रह गया है।
iii. अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान भारतीय वाहकों का वित्तीय घाटा लगभग 16,000 करोड़ रुपए है।
iv. अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान भारतीय हवाईअड्डों का वित्तीय घाटा लगभग 3,000 करोड़ रुपए है।

(ख) से (छ) कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात, यात्री उड़ानों को दिनांक 25 मई 2020 से चरण बद्ध तरीके से पुन:आरंभ किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि एयरलाइनें, यात्रियों से अत्यधिक किरायों की वसूली न करें। सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि एयरलाइनें किराया प्रतिस्पर्धा में भी शामिल हों जिससे यह स्थिति छोटी एयरलाइनों के लिए वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हो जाती। दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, सरकार ने दिनांक 21 मई 2020 के आदेश संख्या एवी-13011/1/2020-यूएस(एसएस)-एमओसीए द्वारा किराया बैंड की संकल्पना लागू की, जिसमें उड़ान की लगभग अवधि के आधार पर वर्गीकृत, विभिन्न सेक्टरों पर अधिकतम/न्यूनतम इकोनोमी श्रेणी के किराए निर्धारित किए गए थे।
नई दिल्ली में विमानन टरबाईन ईंधन (एटीएफ) की कीमत, 25 मई 2020 को लगभग 21.45 रुपए प्रति लिटर से बढ़कर, 1 फरवरी 2021 को लगभग 53.80 रुपए प्रति लिटर हो चुकी है, जो लगभग 151 प्रतिशत की वृद्धि है। एटीएफ की लागत में इस अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, सरकार ने 11 फरवरी 2021 को न्यूनतम किराए में मात्र 10 प्रतिशत और अधिकतम किराए में मात्र 30 प्रतिशत की वृद्धि की है। किराया बैंड्स में सीमित वृद्धि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारतीय वाहक, संवर्धित ईंधन लागत के एक हिस्से की भरपाई कर सकें, और फिर भी हवाई किराए आम आदमी के लिए वहनीय बने रहें।

••••